भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 125012

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सर्पोटिव सुपरविजन कार्यक्रम हेतु वाहन उपलब्ध कराने हेतु एवं जिला स्वास्थ्य समिति मेरठ के मध्य अनुबन्ध

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, मेरठ..........प्रथम पक्ष।

एवं

मैसर्स बजरंग ट्रेवल्स, ए/एफएफ, 18 अंसल कोर्टयार्ड, मोदीपुरम बाईपास, मेरठ..........द्वितीय पक्ष।

यह अनुबन्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सर्पोटिव सुपरविजन कार्यक्रम हेतु कार्यालय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, मेरठ मण्डल, मेरठ हेतु 01 वाहन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ हेतु 02 वाहन, कार्यालय जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु 01 वाहन एवं समस्त सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्र हेत 12 वाहन एक प्रति वाहन प्रति ब्लॉक उपलबध कराये जाने हेतु **प्रथम पक्ष** मुख्य चिकित्साधिकारी/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति, मेरठ एवं **द्वितीय पक्ष** मैसर्स बजरंग ट्रेवल्स, ए/एफएफ, 18 अंसल कोर्टयार्ड, मोदीपुरम बाईपास, मेरठ के मध्य आज दिनांकः– 09.04.2018 को जनपद मेरठ में निष्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष अथवा निष्पादन की तिथि से 09.04.2020 तक वैध होगी।

जिसकी शर्ते निम्नवत् होगी।

1. यह कि दिनांकः– 27.03.2018 को डाली गयी निविदा के अनुसार निम्न दरें अनुमोदित की गयी हैं।

Sl. No.	Qutstations Taxis Particulars	Non AC Rate with all Taxes
1	Monthly Rental (08 hours daily 25 days & Maximum 2000 km)	30750.00

2. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा 09 अप्रैल, 2018 से सर्पोर्टिव सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 16–वाहन जिनमें 6 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता हो उपलब्ध करायेगा।
3. यह कि प्रथम पक्ष को माह में अधिकतम् 25 दिन वाहन उपलब्ध कराने पर रू0. 30750/– प्रति वाहन की दर से माह में 2000 कि0मी0 नियमानुसार आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
4. किसी भी विवाद/मतभिन्नता की स्थिति में यदि निविदा प्रक्रिया/अनुबन्धित अवधि के दौरान घटना घटित होती है तो प्रकरण को सर्वप्रथम एक निष्पक्ष आर्बिट्रेटर को जिले जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा नियुक्त किया जायेगा, को सन्दर्भित किया जायेगा। जो प्रकरण को आर्बिट्रेशन एंड कान्सीलेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत सुनवाई करेगा।
5. द्वितीय पक्ष को किए गये कार्यो के बिल प्रथम पक्ष के नाम के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही पीएफएमएस पद्वति के माध्यम से सीधे फर्म के राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी स्थिति में अग्रिम एवं नकद भुगतान नही किया जायेगा।
6. वाहन जी0पी0आर0एस0 युक्त रहेगा तथा वाहन पर सर्पोटिव सुपरविजन का लोगो भी चस्मा करना होगा।
7. अनुबन्ध के समय प्रस्तुत वाहन जिसकी सूची संलग्न–1 पर ही चलेंगे। अन्य वाहन यदि चलाया जाता है तो भुगतान देय नहीं होगा।

For BAJRANG TRAVELS

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Proprietor

9 यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्येक माह प्रत्येक केन्द्र का बिल प्रत्येक वाहन का पृथक–पृथक संबंधित केन्द्र प्रभारी से सत्यापित कराकर मय लॉगबुक व जी0पी0आर0एस0 का डेटा की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा। लॉगबुक में विवरण बताये गये प्रारूपानुसार अंकित किया जायेगा।

10. द्वितीय पक्ष उक्त अनुबंध के आधार पर पुनः अनुबंध किए जाने या अनुबंध की अवधि बढाये जाने का दावा करने के लिए अधिकृत नहीं होगा। पुनः अनुबन्ध गुणावगुण के आधार पर किए जाने या अनुबंध की अवधि बढाये जाने का निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति मेरठ द्वारा लिया जायेगा।

11. प्रथम पक्ष द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा धनराशि प्रथम पक्ष के पास जमा रहेगी तथा संतोषजनक कार्य पूर्ण होने एवं भुगतान होने के 3 माह पश्चात् अवमुक्त की जायेगा

12. अधिकतम् 20 कि0मी0 प्रतिदिन प्रतिवाहन गैराज से गैराज का भुगतान किया जायेगा।

13. उक्त अनुबन्ध, अनुबन्ध की शर्त संख्या:– 01 से 13 तक एवं ई–निविदा में अंकित शर्ते स्वीकार करते हुए आज दिनांक:– 09.04.2018 को प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकार मेरठ में निष्पादित किया जायें।

स्थान:– मेरठ।

दिनांक:– 09.04.2018

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
मेरठ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मेरठ

द्वितीय पक्ष

मैसर्स बजरंग ट्रैवल्स,
ए/एफएफ, 18 अंसल कोर्टयार्ड,
मोदीपुरम बाईपास, मेरठ

For BAJRANG TRAVELS
Proprietor

SUPPORTIVE SUPPERVISION VEHICLE HIRING- DETAILS MEERUT 2018-19

S.NO	NAME OF DIVISION	NAME OF DISTRICT	BLOCK NAME	VEHICLE NO.	DATE OF HIRING	AGREEMENT COPY ATTACHMENT
1	MEERUT	MEERUT	Mavana	UP-16-CT 8881	10/4/18	
2	MEERUT	MEERUT	Bhavanpur	UP-14-ET 8456	"	
3	MEERUT	MEERUT	Parikshat Garh	UP-15 DT 1242	"	
4	MEERUT	MEERUT	Hastinapur	UP-15 CT 0185	"	
5	MEERUT	MEERUT	machra	UP-14 ET 9304	"	
6	MEERUT	MEERUT	Kharkodha	UP-15 CT 8203	"	
7	MEERUT	MEERUT	Bhoorbaral	UP-15 DT 1241	"	
8	MEERUT	MEERUT	Sardhana	UP-15 CT 5492	"	
9	MEERUT	MEERUT	Daurala	UP-15 CT 3299	"	
10	MEERUT	MEERUT	Rohta	UP-15 DT 5481	"	
11	MEERUT	MEERUT	Jani/Panchli	UP-15 DT 4758	"	
12	MEERUT	MEERUT	Sarvarpur	UP-15 DT 4740	"	
13	MEERUT	MEERUT	CMO off.	UP-15 DT 4759	"	
14	MEERUT	MEERUT	A.D. off.	UP-15 DT 4739	"	
15	MEERUT	MEERUT	DPM U	UP-13 AT 3563	"	